



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 354 राँची, सोमवार,

14 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 जून, 2025

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-17/2023-31224 (HRMS)--श्री नारायण राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-422/03, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-154, दिनांक-07.02.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध डोमचाँच प्रखंड अंतर्गत तेतरियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभुकों के चयन में गंभीर अनियमितता बरतने, अनियमितता के आलोक में संदिग्ध मामलों के सत्यापन कराने हेतु निदेश के बावजूद कोई कदम नहीं उठाने, पंचायत सेवक श्री सहदेव यादव द्वारा अनियमितता को संज्ञान में लाने पर उसका स्थानान्तरण कर देने, श्री दीपक कुमार सिन्हा, कम्प्यूटर आपरेटर को कार्य से हटाने के निर्देश के बावजूद उनसे कार्य कराने एवं तेतरियाडीह पंचायत के लाभुकों के निबंधन में पंचायत सेवक से नियमानुसार निबंधन कार्य न करवाने संबंधी कुल-5 आरोप प्रतिवेदित किये गये ।

उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2409 दिनांक 12.06.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में श्री राम को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1052(HRMS) दिनांक 24.07.2018 द्वारा श्री राम को निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0-1191(HRMS) दिनांक 01.08.2018 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-229 दिनांक 06.11.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अधिसूचना सं०-446(HRMS) दिनांक 05.02.2019 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त किया गया एवं उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-1132, दिनांक 06.02.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई, जिसके आलोक उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-3679(HRMS) दिनांक 12.07.2019 द्वारा सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही, आदेश सं0-3629, दिनांक 14.06.2022 द्वारा श्री राम के निलंबन अवधि दिनांक 24.07.2018 से 05.02.2019 को निम्नवत् विनियमन किया गया-

(क) निलंबन अवधि में श्री राम को मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(ख) पेंशनादि के प्रयोजनार्थ निलंबन अवधि की गणना कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में की जाएगी।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री राम के पत्र, दिनांक 20.09.2021 द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील आवेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2236, दिनांक 22.11.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री राम द्वारा अपील अभ्यावेदन में प्रतिवेदित है कि उनकी सेवा अभी सम्पूष्ट नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में उक्त अधिरोपित दंड के कारण उनकी लगातार तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक दी जाएगी, जिसका प्रभाव उनके पूरे सेवा काल तक रहेगा। सेवा काल में तो यह उनकी भुगतान होने वाली वेतन को प्रभावित करेगी ही, सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन पर भी प्रभाव डालेगी, जिसकी कुल आवृत्ति लाखों में होगी। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आए तथ्यों के सापेक्ष अधिरोपित दण्ड का परिणाम एवं उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है।

श्री राम द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपील आवेदन में कोई नया तथ्य समर्पित न कर उन्होंने तथ्यों को दुहराया गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान जाँच पदाधिकारी के समक्ष एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित किया गया है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित कुल-5 आरोपों में से आरोप सं0-5 को छोड़कर शेष आरोप सं0-1, 2, 3 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री राम द्वारा अपील आवेदन में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा सारे आरोप अपने अधीनस्थ कर्मियों पर मढ़ने का प्रयास किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड अन्तर्गत संचालित विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेवार है, जो उनके पदनाम से भी स्पष्ट है। उन्हीं के नेतृत्व में प्रखण्ड स्तरीय योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं।

उनके द्वारा समर्पित तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत गलत लाभुकों को राशि का भुगतान हुआ है। उनके कार्यकाल में कुछ गलत लाभुकों से राशि प्राप्त कर ली गयी थी। इससे स्पष्ट है कि उनके कार्यकाल में गलत भुगतान हुई पूर्ण राशि सरकार के खाते में वापस प्राप्त नहीं हुई है। स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखण्ड अन्तर्गत कार्यों का सही ढंग से कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप अधीनस्थ कर्मों भी गलत इरादा से एवं लापरवाही पूर्वक कार्य निष्पादित कर रहे थे।

समीक्षोपरांत श्री राम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-3679(HRMS) दिनांक 12.07.2019 द्वारा उनपर अधिरोपित दण्ड “सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक” को विभागीय संकल्प सं0-19651(HRMS), दिनांक 20.03.2023 द्वारा यथावत् रखा गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री राम द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 5000/2023 Narayan Ram Vrs. State of Jharkhand & Ors. दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2024 को पारित आदेश में संकल्प सं0-3679, दिनांक 12.07.2019, विभागीय आदेश सं0-3629, दिनांक 14.06.2022 एवं अपील आदेश को रद्द कर दिया गया है एवं मामले में नियमानुसार कार्रवाई हेतु विभाग को वापस किया गया। उक्त पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

".....In view of the aforesaid facts and the judicial pronouncements, the impugned Resolution dated 12.07.2019 (Annexure-8) and Memo No.3629 dated 14.06.2022 (Annexure-9) along with the appellate/revisional order are hereby quashed.

The matter is remitted back to the respondents to proceed in accordance with law. Accordingly, this writ application is allowed.

Pending I.A., if any, also stands disposed of."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री राम के विरुद्ध विभाग स्तर पर नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर उस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक-7699, दिनांक 26.11.2024 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई है।

श्री राम के पत्र, दिनांक 17.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों का चयन मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत सेवक की उपस्थिति, सूचीबद्ध लाभुकों की उपस्थिति एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। संदिग्ध मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राशि की भुगतान पर रोक लगायी गयी तथा मामले के विरुद्ध नोटिस करते हुए राशि की वसूली के निमित्त निलाम पत्र दायर करने की भी कार्रवाई की गयी। उप विकास आयुक्त, कोडरमा के निदेश एवं प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने पर श्री सहदेव यावद, पंचायत सेवक को अन्यत्र पंचायत में स्थानान्तरित किया गया। प्राप्त निदेश के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए दीपक कुमार सिन्हा, कम्प्यूटर ऑपरेटर, दैनिक भोगी को प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के कार्य से अलग रखा गया। निबंधन का कार्य दिशा-निर्देश के तहत पंचायत सेवक के स्तर से कराया गया।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-1239, दिनांक 04.03.2025 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

श्री राम के पत्र, दिनांक 09.04.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मुख्य रूप से श्री राम द्वारा रिट याचिका W.P.(S) No.-5000/2023 नारायण राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2024 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई को not properly conducted माना है एवं disciplinary authority को remit back करते हुए विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से कार्रवाई की गयी है। साथ ही इनके द्वारा कहा गया कि इनकी सेवा अवधि काफी कम रह गई है। अतएव, शीघ्र एवं विधि-सम्मत निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में संदर्भित मामले की पुनर्समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन एवं उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्री राम के विरुद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प सं०-3679(HRMS) दिनांक 12.07.2019 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधित विभागीय संकल्प सं०-19651(HRMS), दिनांक 20.03.2023 को विलोपित करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री नारायण राम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NARAYAN RAM JHK/JAS/224	श्री नारायण राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-422/03, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प सं०-3679(HRMS) दिनांक 12.07.2019 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधित विभागीय संकल्प सं०-19651(HRMS), दिनांक 20.03.2023 को विलोपित करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
